संख्या-529/2022/3829/41-2022-210(सा0)/2022

प्रेषक,

मुकेश कुमार मेश्राम,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
पर्यटन, उ0प्र0
लखनऊ।

पर्यटन अनुभाग **लखनऊ, दिनांक 28 अक्टूबर, 2022**

विषयः-जनपद मथुरा में कोसीकलां के पास स्थित कोकिला वन शनि धाम में परिक्रमा मार्ग का निर्माण, टायलेट ब्लाक तथा सोलर प्लान्ट की स्थापना के निर्माण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया अपने पत्र संख्या-3668/6-1-1/ब्र0ती0वि0प0/ (99)/ 2019 दिनांक 23.08.2022 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा जनपद मथुरा में कोसीकलां के पास स्थित कोकिला वन शनि धाम में परिक्रमा मार्ग का निर्माण, टायलेट ब्लाक तथा सोलर प्लान्ट की स्थापना के निर्माण के सम्बन्ध में प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है।

2. जनपद मथुरा में कोसीकलां के पास स्थित कोकिला वन शनि धाम में परिक्रमा मार्ग का निर्माण, टायलेट ब्लाक तथा सोलर प्लान्ट की स्थापना के निर्माण की परियोजना के अन्तर्गत उक्त परिक्रमा मार्ग की कुल लम्बाई 2748 मीटर है, जिसमें 04 मीटर चौड़ा पक्का एवं 04 मीटर चौड़ा कच्चा परिक्रमा पथ, पत्थर के बोलार्ड, पत्थर के कर्वस्टोन, सुरक्षा के दृष्टिगत एक ओर लोहे की ग्रिल लगाने, 01 टायलेट ब्लाक एवं 7.5 वाट का सोलर प्लांट स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। परिक्रमा मार्ग के 2514 मीटर लम्बाई की भूमि वन विभाग के अन्तर्गत आती है, जिसका कुल क्षेत्रफल 2.0112 हे0 आता है, जिसके गैर वानिकी प्रयोग हेतु प्रस्ताव वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत भारत सरकार को भेजा गया था, जिस पर भारत सरकार के पर्यावरण, वन, जलवायु परिवर्तन विभाग के लखनऊ स्थित क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा दिनांक 29.12.2021 को सशर्त सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत की गयी है। उक्त के अनुसार वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत प्रकरण में आरक्षित वन भूमि के बदले समतुल्य गैर वन भूमि का स्वामित्व वन विभाग के नाम अमलदरामद कराते हुए भूमि का कब्जा वन विभाग को दिया जाना है, जिसके क्रम में उप जिलाधिकारी, महावन द्वारा वन विभाग को 10 वर्ष हेतु ग्राम मादौर की 2.0112 हे0 ग्राम समाज की भूमि पेड़ लगाने हेतु दी गयी है, किन्तु वन विभाग द्वारा उक्त भूमि को वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के प्राविधानों के अन्तर्गत वन विभाग के नाम पूर्ण स्वामित्व सहित अमलदरामद कराने की मांग की गयी है।

3. जिलाधिकारी कार्यालय मथुरा द्वारा पत्र संख्या-241/सात-बी/भू0व्य0/2022 दिनांक 16.07.2022 द्वारा यह अवगत कराया गया है कि शासनादेश संख्या-32/744/एक-1-2016-20(5)/2016 दिनांक 03.06.2016 राजस्व अनुभाग-1, लखनऊ धारा-4(1) (ग) के अनुसार राज्य सरकार के सेवारत विभाग को भूमि निःशुल्क दी जायेगी और राज्य सरकार के वाणिज्यिक विभागों/भारत सरकार के विभागों तथा निजी उद्योगों/निजी कम्पनियों/निजी संस्थाओं/न्यास हेतु ग्रामीण क्षेत्र में 04 गुना तथा शहरी क्षेत्र में 02 गुना प्रचलित बाजार मूल्य या जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित सर्किल

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

रेट, जो अधिक हो, के अनुसार देय होगी। भूमि के मूल्य के अतिरिक्त माल गुजारी के 150 गुने के बराबर पूॅजीकृत मूल्य/वार्षिक किराया प्राप्त किया जायेगा। उ0प्र0 ब्रज तीर्थ विकास परिषद, मथुरा (अन्तर्गत पर्यटन विभाग) के सेवारत विभाग के अन्तर्गत न होने के कारण उ0प्र0 ब्रज तीर्थ विकास परिषद, मथुरा की मांग पर वन विभाग को निःशुल्क भूमि दिया जाना सम्भव नहीं है। ब्रज भूमि में श्रद्धालुओं की सुविधा के दृष्टिगत् एवं पर्यटकों को बढ़ावा दिये जाने के उद्देश्य से उ0प्र0 ब्रज तीर्थ विकास परिषद, मथुरा द्वारा विकास कार्य कराये जा रहे है। उक्त संस्था शासकीय अनुदान से ही विभिन्न परियोजनाऐं सम्पादित कर रही है तथा संस्था की आय का अन्य कोई संसाधन नही है।

4. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रकरण में मा0 मंत्रि-परिषद की दिनांक 13.10.2022 को सम्पन्न बैठक में निम्नलिखित निर्णय लिये गये है:-

''जनपद मथुरा में कोसीकलां के पास स्थित कोकिला वन शनि धाम में परिक्रमा मार्ग का निर्माण, टायलेट ब्लाक तथा सोलर प्लान्ट की स्थापना के निर्माण कार्य कराये जाने हेतु परिक्रमा मार्ग के संरेखण में आ रही वन विभाग की 2.0112 हेक्टेयर भूमि के बदले में ग्राम मादौर की ग्राम समाज की 2.0112 हेक्टेयर भूमि वन विभाग को निःशुल्क प्रदान की जाये।''

5. प्रश्नगत प्रायोजना के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबंधों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा:-

(1) भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ के पत्र दिनांक 29.12.2021 में दी गयी शर्तो का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) प्रश्नगत क्षेत्र में अवस्थित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत भारत सरकार से पूर्वानुमति की आवश्यकता होगी।

(3) यदि यह भूमि वन्य जीव विहार/राष्ट्रीय पार्क में अवस्थित पायी जाती है तो राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड, नई दिल्ली के साथ-साथ मा0 सर्वोच्च न्यायालय की अनुमति प्राप्त करनी होगी।

(4) यदि प्रश्नगत क्षेत्र वन्य जीव विहार/राष्ट्रीय पार्क की सीमा से 10 किमी0 एवं इको सेन्सटिव जोन के अन्तर्गत अवस्थित है, तब राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड, नई दिल्ली से भी अनुमति की आवश्यकता होगी।

(5) गैर वन भूमि/कृषि भूमि पर अवस्थित वृक्षों के पातन हेतु वृक्ष (संरक्षण) अधिनियम, 1976 के अन्तर्गत प्रभागीय वनाधिकारी से पातन की अनुमति प्राप्त करनी होगी।

(6) प्रश्नगत क्षेत्र में परियोजना की स्थापना के पूर्व सम्बन्धित संस्था के द्वारा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्राविधानों के अनुरूप यथाआवश्यकता पर्यावरणीय क्लीयरेंस लिया जाना होगा एवं पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्गत पर्यावरण संघात अधिसूचना 2006 यथासंशोधित के प्राविधानों के अनुसार सक्षम स्तर से नियमानुसार पर्यावरणीय अनापत्ति प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा।

(7) प्रश्नगत क्षेत्र के अन्तर्गत प्रदूषण स्त्रोतों से संबंधित ईकाइयों की स्थापना के पूर्व जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के सुसंगत प्राविधानों के अनुसार नियमानुसार स्थापनार्थ सहमति प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा।

(8) प्रश्नगत क्षेत्र के अन्तर्गत प्रदूषण स्त्रोतों से संबंधित ईकाइयों के संचालन के पूर्व जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 के सुसंगत प्राविधानों के अनुसार नियमानुसार संचालनार्थ सहमति प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(9) प्रश्नगत क्षेत्र के अन्तर्गत प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्थाओं के सुचारू संचालन का ऑनलाइन अनुश्रवण उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड मुख्यालय पर स्थापित कंट्रोल रूम के माध्यम से किए जाने के दृष्टिगत उक्त इकाईयों में उचित स्थलों पर पी0टी0जेड0 रोटेटिंग कैमरा ओपेन एक्सेस व्यवस्था के अनुसार स्थापित कराया जाए।

(10) प्रश्नगत क्षेत्र के अन्तर्गत जनित होने वाले अपशिष्टों का पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्गत सुसंगत अपशिष्ट प्रबन्ध नियमों के प्राविधानों के अनुसार पृथक्कीकरण, एकत्रण एवं प्रबन्धन सुनिश्चित किया जायेगा।

(11) प्रश्नगत क्षेत्र के अन्तर्गत समुचित पर्यावरण प्रबन्धन सुनिश्चित किया जायेगा।

(12) पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वरा वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण, सुरक्षा एवं विकास के लिए समय-समय पर जो अन्य शर्ते/प्राविधान निर्धारित किया गया हो, उनका भी अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(13) टी.टी.जेड. क्षेत्रान्तर्गत के प्रकरणों पर नियमानुसार अनुमति सुनिश्चित की जायेगी।

(14) यदि प्रस्तावित भूमि में आरक्षित श्रेणी की भूमि सम्मिलित हो तो, उ0प्र0 राजस्व संहिता, 2006 की धारा 77 (2(2)) में वर्णित व्यवस्थानुसार आरक्षित श्रेणी की भूमियों के श्रेणी परिवर्तन/पुनर्ग्रहण हेतु उतनी ही भूमि उसी अथवा निकटवर्ती ग्राम पंचायत में उसी प्रयोजन हेतु आरक्षित की जायेगी।

अतः कृपया तदनुसार प्रकरण में उपर्युक्त निर्णय के परिप्रेक्ष्य में अग्रतर कार्यवाही सुनिश्चित कर शासन को तत्काल सूचित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(मुकेश कुमार मेश्राम)
प्रमुख सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
2- उपाध्यक्ष, उ0प्र0 ब्रज तीर्थ विकास परिषद्, मथुरा।
3- अपर मुख्य सचिव, श्री राज्यपाल, उ0प्र0 लखनऊ।
4- अपर मुख्य सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उ0प्र0।
5- निजी सचिव, मा0 मंत्री, पर्यटन विभाग, उ0प्र0 शासन।
6- **अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव**
वित्त विभाग/न्याय विभाग/राजस्व विभाग/पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0 शासन।
7- आयुक्त आगरा मण्डल आगरा।
8- जिलाधिकारी, मथुरा।
9- मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उ0प्र0 ब्रज तीर्थ विकास परिषद्, मथुरा।
10- उप निदेशक, पर्यटन निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ/मथुरा।
11- गार्ड-फाइल।

आज्ञा से,

(अश्विनी कुमार पाण्डेय)
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in